उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–8
संख्या /2018/5(120)/XXVII(8)/2018/CT-17
देहरादून:: दिनांक:: 16 अप्रैल, 2018

अधिसूचना

चूँकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 06) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को, जिनका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में या चालू वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त एक करोड़ पचास लाख रुपए तक का है, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के प्रवर्ग के रूप में अधिसूचित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, जो मालों या सेवाओं अथवा दोनों की जावक पूर्ति के ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए नीचे यथाउल्लिखित विशेष प्रक्रिया का पालन करेंगे ।

2. उक्त व्यक्ति अप्रैल से जून, 2018 तिमाही के दौरान की गई मालों या सेवाओं अथवा दोनों की जावक पूर्ति के ब्यौरे **प्ररूप जीएसटीआर-1** में 31 जुलाई, 2018 तक प्रस्तुत करेंगे।

3. अप्रैल से जून, 2018 के मासों के लिए अधिनियम की धारा 38 की उप-धारा (2) और धारा 39 की उप-धारा (1) के अधीन, यथास्थिति, ब्यौरे या विवरणी प्रस्तुत करने के लिए विशेष प्रक्रिया या समय-सीमा में विस्तार को पश्चात्वर्ती रूप में राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा ।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव

सं0 335/2018/5(120)/XXVII(8)/2018/CT-17 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि वे अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अवगत करा दें।
2–निदेशक, मुद्रण एंव लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रूड़की जिला हरिद्वार को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियॉ इस आशय से प्रेषित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100–100 प्रतियॉ वित्त अनुभाग–8 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।
3–विधायी एवं संसदीय कार्य अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4–अपर सचिव, वित्त–8, उत्तराखण्ड शासन।
5–एन0आई0सी0
6–गार्ड फाईल हेतु।

........................अनुभाग
आवश्यक कार्यवाही करें।

अपर आयुक्त वाणिज्य कर
उत्तराखण्ड, देहरादून

आज्ञा से,

(हीरा सिंह बसेड़ा)
अनु सचिव

509
16/04/2018

DC/GST Notification/ GSTR-1upto 3 June 2018 (02-04-2018)

17/04/2018

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 335/2018/5(120)/XXVII(8)/2018/CT-17 dated 16 April, 2018 for general information.

Government of Uttarakhand
Finance Section-8
No.335/2018/5(120)/ XXVII(8)/2018/CT-17
Dehradun :: Dated:: 16 April, 2018

Notification

WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

Now, THEREFORE, In exercise of the powers conferred by section 148 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the Act), the Governor, on the recommendations of the Council, is pleased to allow to notify the registered persons having aggregate turnover of upto 1.5 crore rupees in the preceding financial year or the current financial year, as the class of registered persons who shall follow the special procedure as mentioned below for furnishing the details of outward supply of goods or services or both.

2. The said persons shall furnish the details of outward supply of goods or services or both in **FORM GSTR-1** effected during the quarter of April to June, 2018 till the 31st day of July, 2018.

3. The special procedure or extension of the time limit for furnishing the details or return, as the case may be, under sub-section (2) of section 38 and sub-section (1) of section 39 of the Act, for the months of April to June, 2018 shall be, subsequently, notified in the Official Gazette.

(Amit Singh Negi)
Secretary